:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./80/2022-23/ 47932 दिनांक: 06.12.2022

ई–बोली आमंत्रण सूचना

राज्य की कारागृहों हेतु विभिन्न प्रकार के मेडिकल उपकरण क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 07.12.2022 को सांयकाल 5.00 बजे के उपरान्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निम्न समय सारणी अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है:-

1.	बोली दस्तावेज डाउनलोड़ प्रारम्भ की तिथि	07/12/2022 को सांयकाल 5.00 PM के उपरान्त
2.	बोली प्रस्तुत करने की प्रारम्भ दिनांक व समय	07/12/2022 को सांयकाल 5.00 PM के उपरान्त
3.	बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	19/12/2022 को प्रातःकाल 11.00 AM तक
4.	तकनीकी बोली खोले जाने की दिनांक व समय	19/12/2022 को दोपहर 02.00 PM से
5.	निविदा खोलने का स्थान	महानिदेशालय कारागार, घाटगेट जयपुर

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्ते एवं अन्य विवरण बोली की वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट *www.home.rajasthan.gov.in* अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल वैबसाईट *www.sppp.rajasthan.gov.in* पर देख सकते हैं।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: सामान्य/के.भं./80/2022–23/ 47932-40 दिनांक: .12.2022

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।
2. उपापन समिति, अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव...।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि ई-बोली आमंत्रण सूचना का राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 43(6) में विहित प्रावधानानुसार 50,000 प्रतियों और उससे अधिक का परिचालन रखने वाले एक राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र तथा न्यूनतम स्पेस एवं अनुमोदित दरों पर न्यूंनतम 10 दिवस की अवधि के लिए अविलम्ब प्रकाशन करावें।
4. प्रभारी कम्प्यूटर लैब, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय बैवसाईट पर अविलम्ब अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान, जयपुर

:: महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ::

क्रमांक: सामान्य/के.भं./80/2022-23/ 47932-40 दिनांक: 06/12/2022

राज्य की कारागृहों हेतु विभिन्न प्रकार के मेडिकल उपकरण क्रय करने हेतु ई-बोली आमंत्रित की जाती है। ई-बोली दिनांक 07.12.2022 को सांयकाल 5.00 बजे के उपरान्त वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में निर्धारित समय सारणी अनुसार प्रस्तुत की जा सकती है।

क्र. सं.	वस्तु का नाम	अनुमानित मात्रा	कुल अनुमानित राशि रूपये (लाखों में)	बोली प्रपत्र शुल्क	बोली प्रतिभूति राशि
1.	ई.सी.जी. मशीन	10	4.00	500/-	8000/-
2.	एक्स-रे मशीन (डिजीटल)	01	9.00	500/-	18000/-
3.	बी.पी. इन्स्ट्रूमेन्ट विद मल्टी पारा मॉनिटर	06	3.90	500/-	7800/-
4.	सैल काउन्टर-हिमाटॉलोली एनालाईजर	03	15.00	500/-	30000/-
5.	पल्स ऑक्सी मीटर	48	0.96	500/-	14360/-
	थर्मामीटर/थर्मल स्केनर	56	2.80		
	बी.पी. इन्स्ट्रूमेन्ट	41	0.82		
	सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन (8 ट्यूब)	04	0.40		
	यूरीन एनालाइजर	01	0.60		
	नेब्यूलाइजर मशीन	24	0.60		
	इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रूमेंट स्टेरेलाइजराव बॉइलर	25	1.00		
			Total=7.18		
6.	फॉलर पेसेंट बैड	11	4.40	500/-	27500/-
	हॉस्पीटल सेमी फोल्डिंग बैड विद मैट्रेस	25	3.00		
	ऑक्सीजन सिलेण्डर सैट	10	0.80		
	बेड साइड स्क्रीन (पर्दा)	25	1.25		
	स्ट्रेचर ट्रॉली	25	2.75		
	फोल्डिंग स्ट्रेचर	25	0.75		
	नर्सिंग ट्रॉली	10	0.80		
			Total=13.75		

नोटः- क्र.सं. 5 एवं 6 के लिए बोली पर निर्णय समस्त आइटमों की प्राप्त न्यूनतम दर के रूप में (पैकैजिंग के आधार पर) गणना की जायेगी।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/सा.वि.ले.नि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार ऑन लाइन प्रस्तुत की जाने वाली बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी राशि) ऑनलाईन ई ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा करवाया जाना आवश्यक है। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 09.07.2020 में ई ग्रास पोर्टल पर ऑन लाईन चालान से फीस जमा करवाए जाने की पूर्ण प्रक्रिया दी गई है। बोली से संबंधित शुल्क का विस्तृत विवरण बोली की मुख्य शर्त संख्या 01 में दिया गया है।

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना, बोली की मुख्य शर्तो एवं तत्सम्बंधी अन्य विवरण को वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in अथवा विभागीय वैबसाईट http://*www.home.rajasthan.gov.in* अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन Procurement पोर्टल (http://sppp.raj.nic.in) पर देखा जा सकता है।

अति0महानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

बोली (Bid) की मुख्य शर्ते

1. **शुल्क (fees)-**

(अ) प्रत्येक सामग्री की बोली हेतु बोली प्रतिभूति राशि, बोली प्रपत्र शुल्क व प्रोसेसिंग फीस पृथक-पृथक ई-ग्रास चालान के द्वारा ऑनलाईन जमा की जायेगी।

(ब) ई-बोली हेतु निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क/बोली प्रतिभूति राशि "महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर" के नाम ई-ग्रास चालान के द्वारा ऑनलाईन जमा की जायेगी।

(स) बोली प्रोसेसिंग फीस (आर.आई.एस.एल.) निम्नानुसार रहेगी:-

1. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से कम है रूपये 500/-प्रति बोली
2. यदि बोली की लागत राशि रूपये 50.00 लाख से अधिक है- रूपयें 1000/-प्रति बोली

निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति राशि (बिड सिक्योरिटी राशि) के ई-ग्रास चालान ऑन लाईन बोली के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटायी जावेगी।

(द) निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, बोली प्रोसेसिंग शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि/बिड सिक्यूरिटी राशि शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या प.6(5)वित्त/साविलेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 एवं दिनांक 09.07.2020 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार ई-ग्रास पोर्टल पर चालान महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर के पक्ष में बनाया जाना है, शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शुल्क का विवरण	बोली शुल्क की राशि	ई-ग्रास बजट मद का विवरण
बोली प्रपत्र शुल्क	बोली में निर्धारित राशि अनुसार	0075-00-800-52-01
प्रोसेसिंग फीस	बोली में निर्धारित राशि अनुसार (एम.डी, आर.आई.एस.एल(MD RISL))	8658-00-102-16-01
बोली प्रतिभूति राशि	क्रम संख्या 1 से 6 तक के अनुसार उपकरण/सामग्री की कुल अनुमानित कीमत का 2%	8443-00-103-00-00

2. पात्रता (eligibility)-

(i) बोली के इच्छुक बोलीदाता को, ई-बोली (e-Bid) में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम वैबसाईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर स्वयं का पंजीकरण कराना होगा। तत्पश्चात जो बोलीदाता ई-बोली में भाग लेना चाहते है, उन्हें सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act 2000) के तहत डिजिटल सर्टिफिकेट (Type II व Type III) प्राप्त करने होंगे। बोलीदाता किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजिटल सर्टिफिकेट ले सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पहले

से ही उक्तानुसार वैध डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण (e-bid) में अपेक्षित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां, संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) अथवा निर्माता द्वारा वस्तु विशेष हेतु विशेष रूप से प्राधिकृत डीलर/ प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही दी जाऐंगी बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' (घोषणा पत्र) एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ स्केन कर उपलब्ध करवाना होगा।

(iii) निर्माता/निर्माता द्वारा घोषित प्राधिकृत डीलर के रूप में बोली प्रस्तुत करने पर उससे संबंधित प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध करवानी होगी।

3. **अनुभव (experience)-**

(अ) बोलीदाता को बोली में अंकित आईटम/समकक्ष (मेडिकल उपकरणों के व्यवसाय से संबंधित) का किसी सरकारी विभाग/उपक्रम/संस्था में विगत पांच वर्षो में आईटमों की अनुमानित बोली राशि का किसी एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 प्रतिशत राशि आपूर्ति का अनुभव होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप निविदा के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें।

(ब)बोलीदाता फर्म (Bidder) जिसे निर्माता फर्म द्वारा बोलीदत्त आईटम के लिए प्राधिकृत किया गया हो, का विगत तीन वर्षो (2018-19, 2019-20 व 2020-21) का औसत वार्षिक टर्नओवर बोलीदत्त आईटम के अनुमानित बोली राशि के बराबर राशि का होना आवश्यक है। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, जिसकी प्रति ऑनलाईन स्केन कर प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

मूल निर्माता की स्थिति में विगत तीन वर्षो (2018-19, 2019-20 व 2020-21) का औसत वार्षिक टर्नओवर (annual turn over) बोलीदत आईटम के अनुमानित बोली राशि का कम से कम पांच गुना होना चाहिए। जिसके प्रमाणस्वरूप उस संबधित वर्ष की बैलेंस शीट एवं लाभ-हानि खाता जो चार्टेड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित होगा, ऑनलाईन स्केन प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

4. **दस्तावेज (document)-**

(i) बोली के साथ बोलीदाता द्वारा वैध जीएसटी पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं GSTR/ GSTR चालान की प्रमाणित प्रति अथवा GST बकाया नहीं का शपथ-पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी (इस संबंध में बोली परिशिष्ट-स की शर्त संख्या 4 देखें)।

(ii) समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित तथा सत्यापित होना चाहिए।

(iii) बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।

(iv) बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।

(v) बोलीदाता द्वारा सभी विभागीय बोली शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप, परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक-'ब' की पूर्ति कर एवं हस्ताक्षर करके ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करने होंगे। इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी बोलीदाता ने विभागीय शर्तो के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह बोली निरस्त कर दी जावेगी और ई-बोली में आगे की प्रक्रिया (stages) में शामिल नहीं किया जायेगा।

5. **वैधता (validity)-**

बोली की वैधता प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।

6. **बोली दस्तावेज में परिवर्तन-**

बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि-पत्र जारी कर बोली दस्तावेजों में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व इसके लिए उपापन संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।

7. **सामान्य सूचना-**

(i) यदि राज्य से बाहर स्थित फर्म की दरें न्यूनतम आती हैं तो राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम-66 एवं प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स (प्रीफरेन्स टू एमएसएमई ऑफ राजस्थान) नियम 2015 अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार, राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को मूल्य वरीयता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया जा सकता है।

(ii) यदि कोई बोलीदाता माल/सामग्री/उपकरण की आपूर्ति करने में असफल रहता है या आंशिक सप्लाई करता है और उसकी सम्पूर्ण बोली प्रतिभूति या सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति या यथा स्थिति, उसका कोई भी प्रतिस्थापन (substitute) किसी उपापन संस्था द्वारा किसी भी उपापन प्रक्रिया या उपापन संविदा में समपहृत (Forefeit) किया गया है तो बोली लगाने वाले को उपापन संस्था द्वारा हाथ में ली जाने वाली किसी भी उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए विवर्जित (debar) किया जा सकेगा।

(iii) विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली परिशिष्ट- अ, बी स, द एवं इ तथा अनुलग्नक (Annexure)-अ, ब, स का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।

(iv) बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।

(v) उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।

(vi) सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं बोली दस्तावेज की शर्तें/प्रावधान लागू होंगे।

(vii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर होंगे।

(viii) बजट की उपलब्धता के अनुरूप कय किये जाने वाले उपकरण/सामग्री की संख्या में कमी या वृद्धि अथवा बोली निरस्त भी की जा सकती है।

8. सामग्री/उपकरण निम्न गुणवत्ता अथवा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने पर उस सामग्री/उपकरण को उपापन संस्था नियमानुसार अन्य निविदादाता से क्रय के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी एवं क्रय के लिए निविदत राशि एवं क्रय की गई सामग्री की अंतर राशि संबंधित फर्म से नियमानुसार वसूल की जावेगी।

9. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों की वारंटी अवधि (समस्त पार्ट्स/पुर्जे) स्पेसिफिकेशन के अनुसार होगी, जिसकी समयावधि का प्रारम्भ इंस्टॉलेशन तिथि से होगी।

10. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों की आपूर्ति बोली में निर्धारित अवधि में महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर करनी होगी। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों का विभागीय निरीक्षण समिति से निरीक्षण करवाया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामग्री/उपकरणों के विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर बजट की उपलब्धता पर नियमानुसार बिलों की राशि का भुगतान संबंधित फर्म को किया जायेगा।

11. ई-बोली में अंकित सामग्री/उपकरणों को फर्म द्वारा राज्य की संबंधित कारागृह पर स्थापित किया जाएगा। इस कार्यालय/विभाग द्वारा चाहे जाने पर संबंधित कारागृह पर सफल बोलीदाता/फर्म को अपना इंजीनियर/तकनीकी कर्मचारी/प्रतिनिधि भिजवाकर उक्त मशीनों का इन्स्टॉलेशन करवाना होगा, इस हेतु कार्यालय/विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

12. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा सामग्री/उपकरणों के संचालन एवं रख-रखाव के लिए उपकरण हेतु आवश्यक होने पर विभाग द्वारा निर्धारित कार्मिकों को निर्देशित स्थान पर पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जावेगा। मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating procedure)/तकनीकी नियमावली (Technical Manual) तैयार कर उपलब्ध करवाई जायेगी। प्रशिक्षण व नियमावली के लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

13. सफल बोलीदाता/फर्म द्वारा आपूर्ति एवं स्थापित की गई सामग्री/उपकरणों में किसी भी प्रकार की तकनीकी/अन्य खराबी होने अथवा मशीन/उपकरण के बंद हो जाने पर संबंधित कारागृह प्रभारी द्वारा दूरभाष/लिखित में शिकायत दर्ज कराने पर 05 दिवस के भीतर उपस्थित होकर मशीनरी को दुरूस्त करना होगा। फर्म का प्रतिनिधि/इंजीनियर 05 दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना/पैनल्टी 200 रूपये /निर्धारित राशि प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किया जाएगा।

14. गारंटी/वारंटी अवधि में सामग्री/उपकरणों में खराबी होने पर पार्ट्स/पुर्जो अथवा सर्विस के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा नही किया जावेगा।

15. विभागीय उपापन समिति द्वारा आवश्यकता होने पर ई-बोली में अंकित सामग्री का ऑनलाइन/ऑफलाईन तरीके से डेमो/प्रजेन्टेशन करवाया जा सकता है। जिसका समस्त खर्चा संबंधित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। Demonstration/Presentation में सफल पाये जाने पर ही बोली पर विचार किया जावेगा।

16. वित्तीय बोली (Price Bid) प्रपत्र संलग्न है, जो निर्धारित BOQ में दिया जावें। इसे तकनीकी बोली के साथ संलग्न नही किया जावें।

17. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/बोली का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त प्रपत्रों/परिशिष्ठो/अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से भरकर ही ई-बोली प्रस्तुत की जावें।

18. प्रथमत: प्राप्त बोलियों की तकनीकी बोली को खोला जावेगा एवं स्पेसिफिकेशन, नियम व शर्तो तथा योग्यता मापदण्डो के अनुसार मूल्यांकन किया जावेगा। तकनीकी बोली में योग्य/सफल पाये गये बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Price Bid) खोली जावेगी।

19. फर्म द्वारा कारागृहों पर भेजे गये किसी भी कार्मिक/संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रतिबंधित सामग्री लाने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

20. विभाग द्वारा जारी बोली दस्तावेज, निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा बोली के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) करके स्कैन कर बोली के साथ ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में बोली पर विचार नहीं किया जायेगा।

21. आइटम/उपकरण की आपूर्ति क्रयादेश तिथि से 30 दिवस में करनी होगी।

22. निविदा में आवश्यक होने पर सामग्री का नमूना (सैंपल) लिया जा सकेगा।

23. फर्म को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ-पत्र निविदा में प्रस्तुत करना होगा।

24. ई-बोली में अनावश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये जाये। निविदा में चाहे गये दस्तावेज सुव्यवस्थित रूप से पृष्ठांकन करते हुए व बिड के प्रारंभ में इंडेक्स बनाकर प्रस्तुत किये जाये।
25. उपरोक्तांकित शर्तो एवं विभागीय बोली परिशिष्ट अ, ब, स, द एवं इ तथा अनुलग्नक-अ, ब, स, द में उल्लेखित शर्तो के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
26. बोली के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है :-

    महानिरीक्षक पुलिस (कारागार), राजस्थान, जयपुर।
    दूरभाष नं. 0141-2616448
    ई-मेल purchasejhq@gmail.com

अति0महानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।
(बोली प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड) -

परिशिष्ट ''अ''

घोषणा

बोली आमंत्रण सूचना कमांक: दिनांक-

(I) .... के लिए बोली (खाली स्थान में उस वस्तु का नाम लिखे, जिसके लिए बोली दी गई है)

(II) बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम..
पूर्ण पता, ...
दूरभाष, फैक्स नम्बर एवं ई मेल ....

(III) बोली जिन्हें प्रस्तुत करनी है :- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, कारागार राजस्थान, जयपुर ।

(IV) सन्दर्भ :-बोली आमंत्रण सूचना संख्या:-......................................
दिनांक ....

(V) राशि का विवरण:-
(1) बोली प्रपत्र शुल्क की ई-ग्रास चालान संख्या .... दिनांक ....राशि........
(2) प्रोसेसिंग फीस ई-ग्रास चालान संख्या ....दिनांक........राशि.. ....
(3) बोली प्रतिभूति राशि ई-ग्रास चालान संख्या..............दिनांक........... राशि.........

(VI) हम बोली आमंत्रण सूचना संख्या ....दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' में वर्णित शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। परिशिष्ट ''स'' तथा परिशिष्ट ''इ'' के समस्त पृष्ठों में वर्णित शर्तो का स्वीकार किये जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गए है तथा उक्त दोनों हस्ताक्षर शुदा परिशिष्ट संलग्न है।

(VII) हम सहमत है कि विभाग द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सुपुर्दगी कर दी जाएगी ।

(VIII) हम सम्पुष्टि(confirm)करते है कि ''प्राईसबिड'' में अंकित की गई दरें ''बोली की वैधता'' प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक तक मान्य होगी।

(IX) हम सम्पुष्टि करते हैं कि ''प्राईसबिड'' में अंकित दरें विभागीय परिशिष्ट ''इ'' में अंकित आईटम/उपकरण के लिये हैं ।

(X) हमारा जीएसटी पंजीयन संख्या........................है।

(XI) हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना सें निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, करार के अभाव में बोली निरस्त योग्य है ।

(XII) हम सम्पुष्टि करते है कि हमारी फर्म किसी भी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड तथा दिवालिया घोषित नही हैं।

(XII) हम सम्पुष्टि करते है कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में बोली निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>अनुसूची "क"</u>

विवरण (बोलीदाता द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जावें)

क. सं.	वांछित दस्तावेज का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं/लागू नहीं	जारी दिनांक/ वैधता दिनांक	पेज संख्या
1.	सामग्री का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की है।			
2.	बोलीदाता फर्म का नाम			
	पता			
	दूरभाष संख्या व ई-मेल का पता			
3.	बोली की सभी शर्तों से सहमति का पत्र			
4.	परिशिष्ट 'द'			
5.	अनुलग्नक 'ब' (रिक्त स्थान की पूर्ति कराते हुए)			
6.	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति			
7.	जीएसटी रिटर्न/जीएसटी चालान की स्कैन प्रति अथवा ना-बकाया का शपथ-पत्र			
8.	बोली दाता का प्राधिकृत प्रतिनिधि संबंधी प्रमाण पत्र			
9.	अनुभव प्रमाण पत्र बोली आमंत्रण सूचना में अंकितानुसार			
10.	वार्षिक टर्न ओवर के संबंध में वांछित दस्तावेज			
11.	निर्माता/प्राधीकृत डीलर संबंधित दस्तावेज			

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का स्वयं द्वारा सत्यापित अनुवाद भी प्रस्तुत किया गया है ।

<u>**नोट**</u>:-उक्त सूची में जिन वांछित दस्तावेज का विवरण फर्म पर लागु नहीं है उस पर लागू नहीं का उल्लेख किया जाए।

1. उपरोक्त अंकित संलग्नकों में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नही उसके सम्मुख Yes or No, दस्तावेज जारी होने की तिथि, (Issuing date) वैधता अवधि (Validity date) अंकित करना आवश्यक है, इसका उतरदायित्व बोलीदाता का है तथा इसके अभाव में बोली अमान्य कर दी जावेगी ।

2. बोली भरने की प्रकिया :-

(ए) परिशिष्ट ''अ'' क्वालीफाईंग बिड है, क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट ''अ'' ''स'' ''द'' एवं ''इ'' तथा अनुलग्नक अ, ब, स, द में अंकित शर्तो की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब', हस्ताक्षर उपरान्त ई-बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे।

(बी) परिशिष्ट ''ब'' प्राईस बिड है उसे ई-बोली में निर्धारित प्रारूप में भरा जावे। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर
परिशिष्ट "ब"
(बोली प्रपत्र-प्राईस बिड)

1. ---------------------------- क्रय करने के लिए ई-बोली।
2. बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
पूर्ण पता :-...
....
दूरभाष एवं फैक्स नम्बर मय ईमेल सहित :-....................................
....
3. बोली जिसे प्रस्तुत करनी है:- महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
4. सन्दर्भ:- सामान्य/के.भं./80/2022-23/............ दिनांक: / /2022
5. निम्नलिखित आईटम के लिए दरें एवं मात्रा निम्न प्रकार होगी:-
(क) परिशिष्ट 'इ' में अंकित स्पेशिफिकेशन के अनुरूप आईटम
(ख) मात्रा :-..
(ग) दरें-एफ.ओ.आर.निम्नानुसार अंकित करे:-
(i) दरें -(प्रति नग):-

क्र.सं.	वस्तु/आईटम का नाम	अनुमानित मात्रा	दर	दर प्रति नग	जीएसटी राशि रूपये	कुल योग
1.	ई.सी.जी. मशीन	10	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
2.	एक्स-रे मशीन (डिजीटल)	01	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
3.	बी.पी. इन्स्ट्रूमेन्ट विद मल्टी पारा मॉनिटर	06	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
4.	सैल काउन्टर-हिमाटॉलोली एनालाईजर	03	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
5.	पल्स ऑक्सी मीटर	48	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	थर्मामीटर/थर्मल स्केनर	56	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	बी.पी. इन्स्ट्रूमेन्ट	41	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	सेन्ट्रीफ्यूगल मशीन (8 ट्यूब)	04	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	यूरीन एनालाइजर	01	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	नेब्यूलाइजर मशीन	24	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	इलेक्ट्रिक इन्स्ट्रूमेंट स्टेरेलाइजराव बॉइलर	25	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
6.	फॉलर पेसेंट बैड	11	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	हॉस्पीटल सेमी फोल्डिंग बेड विद मैट्रेस	25	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	ऑक्सीजन सिलेण्डर सैट	10	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		
	बेड साइड स्क्रीन (पर्दा)	25	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।		

	स्ट्रेचर ट्रोली	25	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।
	फोल्डिंग स्ट्रेचर	25	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।
	नर्सिग ट्रोली	10	प्रति नग	ई-बोली के निर्धारित फोरमेट (BOQ) में ही दरें दी जावे।

परिवहन, पैकिग चार्ज व इन्सटॉलेशन चार्ज दरों में शामिल माना जायेगा।
उक्त करो में किसी प्रकार की आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करे।

नोटः(i) दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जावे। दरों में कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होवे।

(ii)अस्पष्ट वाक्य जैसेः- टैक्स पेड, कर सहित, एज़ एप्लीकेबल का प्रयोग नहीं किया जावे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

परिशिष्ट-''स''

बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक ....

खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की सामान्य शर्ते

नोटः- बोलीदाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिये तथा ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वैबसाईट पर प्रस्तुत करते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

1. बोली भरने की प्रक्रिया बोली आमंत्रण सूचना में दी गई मुख्य शर्तो में अंकित है जिसकी पूर्ण पालना आवश्यक है।

2. विभिन्न श्रेणी के बोलीदाताओं हेतु विशेष शर्ते :-

(अ) (i)सभी वस्तुओं के लिए बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार वस्तुओं की बोलियां संबंधित वस्तु के निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु) अथवा निर्माता द्वारा प्राधिकृत डीलर प्रतिनिधि द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेटस के संबंध में बोली के साथ संलग्न परिशिष्ट- 'द' में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं तत्सम्बंधी लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।

(ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के प्रमाण स्वरूप सरकार के उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी ।

(ब) <u>राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षणः-</u>

(i) किसी भी आरक्षित वस्तु की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत, वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप मे उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II)अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त होगा।

(ii) उक्त उधमियों द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किये जावेंगे। शपथ पत्र के अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त की जा सकती है।

(iii) राजस्थान के वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II)अथवा अद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलीयों (बिड) के साथ बोली सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान की वे फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन IIअभिस्वीकृति (EM-II)अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा <u>बोली (e-bid) में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप मे एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य</u>

है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति (EM-II)प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन (procurement) में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iv) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क की 50% राशि पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक (supplier) फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदशिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित करनी होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित प्रपत्र 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ ऑनलाईन ही प्रस्तुत करने होंगे एवं इनके अभाव में संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(v) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एव क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं.10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'A' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता ज्ञापन भाग II (EM II) एवं बिन्दु सं.11 के निर्धारित प्रारूप 'B' में शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य होगा।

(vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे गठित विभागीय समिति द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन प्रक्रिया एवं उत्पाद की गुणवत्ता बाबत जांच सुनिश्चित की जायेगी एवं इस क्रम में उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जायेगा।

(vii) बोलीदाता द्वारा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमो के अनुसार कार्यवाही किया जाना अनिवार्य होगा।

(viii) बोलीदाता SSI Unit को प्लान्ट एवं मशीनरी सूची तथा निर्माण स्थल का क्षेत्रफल अंकित करते हुए 100/-रूपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा कभी भी कार्यस्थल पर जाकर किया जा सकता है।

3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान को लिखित में बोलीदाता द्वारा आवश्यक रूप से दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले के सदस्य/सदस्यों को मुक्त नही किया जाएगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को बोलीदाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए लिखित रूप से बाध्य नहीं हो जाते एवं इस संबंध में महानिदेशक कारागार,

राजस्थान को लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा संविदा के किसी प्रयोजन के लिए वह पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

4. जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र/जीएसटीआर (GST Return) व चालान की प्रति :-

(i) कोई भी डीलर जो अपने मान्य व्यवसाय स्थान के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है, वह बोली नही दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण-पत्र की प्रति ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) बोलीदाता द्वारा GSTR व बोली से ठीक पूर्व जमा कराये गये जीएसटी के चालान की प्रति अथवा ना-बकाया होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) यदि किसी वस्तु पर जीएसटी लगता है तो उसकी दर फर्म द्वारा आवश्यक रूप से अलग से प्रस्तुत की जावेगी। यदि किसी फर्म ने कर सहित दरें प्रस्तुत की है तो उसमें जीएसटी की दर अलग से दर्शानी/बतानी होगी।

5. बोलीदाता बोली एवं बोली की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट-'द' पूर्ण करने के बाद अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत करें। बोलीदाता द्वारा, बोली के साथ संलग्न अनुलग्नक 'ब' अपने हस्ताक्षर करने के उपरान्त ई-बोली के साथ ऑनलाईन प्रस्तुत किया जावेगा। यदि बोलीदाता द्वारा उक्तानुसार परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' ऑनलाईन प्रस्तुत नहीं किया गया है तो संबंधित बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी जावेगी।

6. यदि कोई बोलीदाता सप्लाई करने असफल रहता है तो उसे तीन वित्तीय वर्ष तक विभागीय बोलियों में भाग लेने से विवर्जित (Debar)किया जा सकता है।

7 **दरें :-**

(i) बोली में दरें शब्दो एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएँ एवं इसमें कोई त्रुटि (Errors) एवं उपरिलेखन (Overwriting) नही होना चाहिये। यदि कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

(ii) बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी :-

(क) इकाई मूल्य(Unit Price) और कुल मूल्य (Total Price) जो ईकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है, के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य प्रभावी (Prevail) होगा अर्थात इकाई मूल्य स्वीकार किया जावेगा और कुल मूल्य में सुधार किया जावेगा। बोली मूल्यांकन समिति की राय में यदि इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गई है तो ऐसे मामलों में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और ईकाई मूल्य में सुधार किया जावेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक (Sub Total) प्रभावी (Prevail) होंगे और कुल योग में सुधार किया जावेगा।

(ग) यदि शब्दों और अंको के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गई रकम तब तक प्रभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन न रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम प्रभावी होगी।

(iii) बोली में दर अंकित करते समय GST अलग से अंकित की जावे व GST की कुल राशि या प्रतिशत अवश्य अंकित की जावे । टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करे। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

(iv) बोली में दरें परिशिष्ट ''इ'' के अनुसार गन्तव्य स्थान तक एफ. ओ.आर. अंकित की जानी चाहिये तथा उसमें चुंगीकर, केन्द्रीय जीएसटी/बिक्रीकर/वेट के अलावा समस्त प्रकार के टैक्स एवं आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभार नहीं दिया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी परिशिष्ट 'इ'' में अंकित परिसरों पर दी जाऐगी ।

(v) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे ।

(vi) सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नही होगी। अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावे। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो ऐसी बोली को सशर्त बोली मानकर निरस्त कर दिया जाएगा।

(vii) सामग्री की आपूर्ति प्राप्त होने पर उसके निरीक्षण उपरान्त, सामग्री को विभागीय स्पेसिफिकेशन/सैम्पल के अनुसार पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो इसे सशर्त बोली मानकर निरस्त की जा सकेगी।

(viii) विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार ही बोली में दरें अंकित की जावें। विभागीय सप्लाई अवधि के अनुसार नही दी गई दरें अमान्य होगीं व बोली निरस्त की जा सकेगी ।

(ix) बोली दरें खुलने के पश्चात यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी ।

(x) बोलीदाता द्वारा बोली सूचना में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी । बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नही होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

8. दरों की तुलनाः-

(i) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 66 के अनुसार राजस्थान के बाहर स्थित फर्म एवं राजस्थान में स्थित फर्म द्वारा दी गई दरों की तुलना के समय राजस्थान की फर्मो द्वारा प्रस्तुत की गई दरों में जीएसटी को दरों में शामिल नही करने एवं

राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में जीएसटी को शामिल करने सम्बन्धी प्रक्रिया तत्समय प्रभावी नियमों के अनुरूप की जावेगी।

(ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार राजस्थान के उद्यमों द्वारा उत्पादित/विनिर्मित माल को राजस्थान के बाहर के उधोगो द्वारा उत्पादित /विनिर्मित माल की अपेक्षा, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत क्रय वरीयता दी जावेगी।

(iii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार यदि सामान के प्रदाय का प्रस्ताव करने वाला कोई बोलीदाता राजस्थान में अवस्थित कोई डीलर है और निविदादत्त मूल्य राजस्थान के उद्यमों द्वारा प्रस्तावित दरों के बराबर है और सामान की किस्म और विनिर्देश वही है तो राजस्थान के उद्यमों को ऐसे स्थानीय डीलर पर क्रय अधिमान दिया जावेगा।

(iv) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रसारित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए भी दरों की तुलना की जावेगी।

9. **बातचीत (Negotiation):-**

(i) जहाँ तक संभव हो बोलीदाताओं से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, किन्तु निम्न परिस्थितियों में केवल न्यूनतम बोलीदाता या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले से बातचीत की जा सकेगी :-

(क) जब बोली लगाने वालों के द्वारा मिलकर समूह कीमतें (Ring Price) दी गई हो या

(ख) जब प्रस्तुत दर एवं प्रचलित बाजार दरों में ज्यादा अन्तर हो।

(ii) न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोली लगाने वाले को बातचीत के लिए बुलाने के लिए न्यूनतम 7 दिवस का समय दिया जावेगा। किन्तु अत्यावश्यकता की स्थिति में मूल्यांकन समिति उक्त समय सीमा को कम कर सकेगी, बशर्ते न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को सूचना प्राप्त हो गई हो।

10. **<u>बोली की विधि मान्यता:-</u>**

दरों की वैद्यता प्राईस बिंड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि तक के लिए विधि मान्य होगी। निर्धारित विधि मान्यता की अवधि से कम अवधि के लिए कोई बोली गैर-प्रत्युत्तरदायी (Non-Responsive bid) के रूप में मानकर अस्वीकार कर दी जावेगी।

11. बोलीदाता के लिए यह समझा जायेगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा, दशा, स्पेसिफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राईग आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली है। यदि उसे इन शर्तो के किसी भाग, स्पेसिफिकेशन, ड्राईग आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो तो वह बोली प्रस्तुत करने से पूर्व अपना आवेदन महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान जयपुर को भेजेगा तथा उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौपेगा या उप भाग (Sub-let) पर नहीं देगा ।

13 **स्पेसिफिकेशनः-**

(i) प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएँ बोली एवं बोली शर्तो से संबंधित परिशिष्ट 'इ' में निर्धारित स्पेसिफिकेशन/मापदण्ड/सैंपल के पूर्णतया अनुरूप होंगी। ऐसे मामलो मे जहॉ कोई स्टैण्डर्ड या अनुमोदित नमूना या स्पेसिफिकेशन नहीं हो, उस स्थिति में सप्लायर द्वारा भारत में उपलब्ध अति-उत्तम गुणवता एवं विवरण की वस्तु सप्लाई की जावेगी। प्रदाय की गई वस्तुओं की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओ के लिए अंतिम एंव मान्य होगा।

(ii) यदि प्रदाय की जाने वाली वस्तुऐं निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के कय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

(iii) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिवस के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जाएगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा । अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभागीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट,फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा ।

(iii) बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'ई' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।

14 निरीक्षण एवं परीक्षणः-सामान्यतः विभागीय निरीक्षण समिति के माध्यम से सामग्री का निरीक्षण करवाया जायेगा। निरीक्षण में अनुरूप पायी गई सामग्री को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार निम्न शर्ते भी लागू रहेंगीः-

(i) (A) महानिदेशक कारागार या उनके विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर सप्लायर के परिसर में जा सकेंगे तथा वह संबंधित वस्तु के विनिर्माण के समय या उसके पश्चात जैसा भी निश्चित किया जाऐगा, माल/उपकरण/मशीनरी की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच कर सकेंगे।
(B) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना मे विभागीय कमेटी द्वारा, राजस्थान राज्य की लघु उद्योग इकाई की उत्पादन क्षमता के बारे में और किस्म नियंत्रण के उपाय उस इकाई में स्थापित हैं या नहीं, के समाधान हेतु उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।

(ii) बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये जाने वाले माल का निरीक्षण करने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम, वर्कशाप का पूर्ण पता

तथा उन व्यक्तियो के नाम व पते देने होंगे जिनसे इस संबंध में सम्पर्क किया जावे। व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले डीलर को अपने बैंकर्स से जारी एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा

(iii) वस्तुओं की सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण व जांच की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहाँ परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओ/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहो में करवाया जावेगा तथा परीक्षण उपरान्त यदि सामान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाऐगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

(iv) परीक्षण प्रभार :- बोलीदाता से सामान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसका परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) **निरीक्षण प्रभारः-** विभाग द्वारा जिन वस्तुओं की प्रदायगी सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो से निरीक्षण (Inspection) उपरान्त ही प्राप्त की जावेगी, उन वस्तुओं का निरीक्षण बोलीदाता द्वारा कराये जाने पर निरीक्षण की एवज में देय निरीक्षण प्रभार की राशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जावेगा एवं इस हेतु बोलीदाता को सरकारी प्रयोगशाला/प्रतिष्ठित निरीक्षण गृहो में जमा कराई गई राशि की रसीद प्रस्तुत करनी होगी

(vi) **रद्द करना (Rejection):-**निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐ अनुमोदित नहीं की जाऐगी उन्हे रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा कय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हे बदला जावेगा।

(vii) यदि रद्द किये गये सामान को जनहित/सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य (Feasible) नही समझा जावे तो विभागीय उपापन समिति बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटोती कर सकेगी। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

(viii) आपूर्ति किया गया माल/आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरूद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

15. **माल की सप्लाई** :-

(i) बोलीदाता सप्लाई के समय माल की उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि परिवहन की स्थिति मे उनमे कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जाने पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (Leakage) या किसी कमी के होने के मामले मे हुई हानि एंव कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी ।

(ii) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी

किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

(iii) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुडस ट्रान्सपोर्ट के जरिये भाडा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर (FOR) बताए गए परिसर/स्थानों पर भेजा जाऐगा। परिवहन के लिए उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की और से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी

17. **सुपुर्दगी अवधि(Delivery Period)**

(i) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाऐगी वह बोली सूचना एवं परिशिष्ट-'अ' में अंकित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी ।

(ii) फर्म निर्धारित समयावधि में यदि सामान की आपूर्ति करने में असफल रहती है तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही सप्लाई अवधि बढवाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए, जिनके कारण सप्लाई अवधि बढवाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सप्लाई अवधि बढाने या नहीं बढाने का निर्णय लिया जावेगा।

(iii) निर्धारित की गयी प्रदायगी अवधि के बराबर अवधि तक, परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित, प्रदायगी अवधि में अधिकतम अभिवृद्वि की जा सकती है। किन्तु जिन मामलों में फर्म द्वारा सामग्री विदेशों से आयात करके सप्लाई की जानी है या किसी सिस्टम से संबंधित, सामग्री सप्लाई किए जाने के बाद, इंस्टॉलेशन किया जाना है वहाॅ प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर संज्ञान में लाई गई बाधाओं से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी सप्लाई अवधि आगे भी बढा सकेंगे।

18. **माल (Goods) एवं सेवाओं (Services) के परिमाण (मात्रा) वृद्वि एवं पुनरादेश (Repeat Orders)**

(i) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई माल/सेवा का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ii) यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियाॅ आमंत्रित करने के पश्चात् दिया गया है तो अतिरिक्त मदों (Items) या अतिरिक्त मात्रा के लिए पुनरादेश (Repeat Orders) संविदा में दी गई दरों और शर्तो पर दिये जा सकेंगे। प्रदायगी या कार्य पूर्ण करने की अवधि भी आनुपातिक रूप से बढाई जा सकेगी। पुनरादेश किसी भी स्थिति में मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50% से अधिक नहीं होगा।

(iii) अन्तिम प्रदायगी समाप्त होने की दिनांक से एक माह के बाद प्रदायगी के लिए पुनरादेश आदेश नहीं दिये जावेंगे। यदि बोलीदाता ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो विभाग सामान की

सप्लाई की व्यवस्था सीमित बोली द्वारा या अन्य प्रकार से करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत आएगी उसकी वसूली बोलीदाता से की जायेगी।

19. **संविदा के अधिनिर्णय (Award of Contract) के समय एक से अधिक बोलीदाताओं के मध्य विनिर्दिष्ट मात्रा का विभाजन** :-सामान्यतः उपापन की विषयवस्तु (मात्रा/सेवा) की समस्त मात्रा उस बोलीदाता से उपाप्त (क्रय) की जावेगी जिसकी निविदा (बोली) स्वीकार की गई है। तथापि जब यह समझा जावे कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है और इस सम्पूर्ण मात्रा प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गई है या जब यह समझा जावे कि उपापन की विषयवस्तु गंभीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में वस्तु की मात्रा को, प्रथम न्यूनतम बोलीदाता जिसकी बोली स्वीकार की गई और द्वितीय निम्नतम बोलीदाता या इसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के मध्य अनुमोदित बोलीदाता की दरों पर ऋजु (Fair) पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा।

20. **बोली प्रतिभूति (Bid Security):-**

(i) बोली प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगो की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगो से भिन्न रूग्ण उद्योगो की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह बोली के मूल्य का 01 प्रतिशत होगी।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग/उपकमों/कंपनी/बोर्ड को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपकम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।

(iii) राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो; के अतिरिक्त अन्य फर्मो को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप मे एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक हैं। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत

करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र, निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50% मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'B' के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।

(iv) बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security):- बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) कर लिया जाऐगा :

(क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।

(ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है ।

(ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।

(घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय-6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

21. **करारः-**

(अ) बोली (bid) में अंकित आईटम की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबन्ध करार के पश्चात आपूर्ति आदेश दिया जावेगा।
करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में निर्धारित अवधि में अनुबन्ध निष्पादन नहीं करने पर बोली निरस्त योग्य है ।

(ब) बोलीदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप में राशि रूपये 500/- मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

22. **कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Performance Security):-**

(i) **कार्य सम्पादन प्रतिभूतिः**-कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से ली

जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(ii) यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उधोग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति (EM-II) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हों तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 0.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।

(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित हैं, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 1% के बराबर होगी।

(iv) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल बोलीदाता द्वारा उस वस्तु के लागत मूल्य के 2.5% के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी ।

(v) इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाऐगा।

(vi) **कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान के नाम से निम्न रूप में दी जा सकेगी:-**

(क) ''ई.जी.आर.ए.एस. के माध्यम से जमा ''

(ख) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा,

(ग) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट/लिखित, यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। बोली के समय वे उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेंगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेंगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियॉ जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(ड.) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)। यह बोली लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोली लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित (discharged) की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि बोली लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित बोली लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन देता है। कार्य सम्पादन प्रतिभूति के समपहरण की दशा में नियत जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित ब्याज के साथ समपहृत कर ली जायेगी।

(च) खण्ड ख से ड. के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

1. अनुबंध पत्र के साथ गिरवी की हुई (Pledge) एन.एस.सी पासबुक/डिफेंस बचत पत्र /किसान पत्र आदि प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. सुरक्षा राशि व बोली प्रतिभूति की दर को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 18.12.2020 के द्वारा पूर्व की दरों को संशोधित किया गया है। संशोधित दरें, राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम (संशोधित) 2020 से 31.12.2021 तक लागू रहेगी।

(vii) संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरूद्व कोई देय बकाया (Outstanding dues) नहीं है, निम्न अवधि अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय (Refund) किया जाएगा ।

(क) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार आईटम की अंतिम सप्लाई या गारण्टी की अवधि समाप्ति, जो बाद में हो, से एक माह के भीतर ।

(ख) यदि माल की सप्लाई को सान्तर (Stggered) किया जाता है तो अंतिम सप्लाई या गारण्टी अवधि की समाप्ति, जो बाद में हो, के दो माह के भीतर ।

(viii) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Forfeiture of Performance Security):- कार्य संपादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों मे समपहरण (Forfeiture) पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:-

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) जब बोलीदाता सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में माल की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा ।

(ix) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने तथा सुरक्षा राशि को गिरवी करने में हुआ व्यय बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग को करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण (Counter foil) बोलीदाता द्वारा निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

(x) बोलीदाता द्वारा करार के निष्पादन के समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएंगे:-

- (अ) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnrership Deed) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
- (ब) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो तत्सम्बन्धी पंजीयन संख्या एवं पंजीयन का वर्ष।
- (स) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास तथा कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (द) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।

(xi) साझेदारी फर्म/कम्पनी की स्थिति में बोली एवं अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत प्रतिनिधि को अधिकृत करने सम्बन्धी अधिकार पत्र फर्म/कम्पनी द्वारा संलग्न किया जाए ।

23. **बीमाः-**

बोलीदाता द्वारा सामान गंतव्य स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किये जाएँगे। आपूर्तिकर्ता चाहे तो मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या

आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (युद्ध, दंगे, विद्रोह आदि द्वारा) हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जाऐगा तथा विभाग/राज्य सरकार इन प्रभारों का भुगतान नहीं करेगी।

24. **भुगतान:-**

(i) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति किये गए माल के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा ।

(ii) माल के भुगतान करने पर किये गए प्रेषण प्रभार (Remittance Charges) बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएँगे।

(iii) विवादास्पद वस्तु के संबंध में 10% से 25% राशि रोकी जाऐगी तथा विवाद का निपटारा हो जाने पर ही उसका भुगतान किया जा सकेगा।

(iv) उन मामलों में जिनमें परीक्षण की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाऐगा जब विहित परीक्षण कर लिये जाऐगे तथा परीक्षण से प्राप्त परिणाम निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होगे।

(v) संविदा पत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट अवधि को संविदा के सार के रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता, विभाग से प्रदायगी आदेश जारी होने पर, निर्धारित अवधि के भीतर सप्लाई पूर्ण करेगा।

25. **परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages):-**

परिनिर्धारित क्षति के साथ प्रदायगी अवधि (Delivery Period) में वृद्वि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन वस्तुओं के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है:-

(क) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए-2.5%,

(ख) विहित प्रदायगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए -5%

(ग) विहित प्रदायगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु -7.5% विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए,

(घ) विहित प्रदायगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए-10%,

(ड.) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रदायगी अवधि में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु सप्लायर द्वारा यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त किया जाएगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद।

(ज) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणो से हुई हो, तो केताधिकारी प्रदायगी अवधि में परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित वृद्धि कर सकेगा।

नोट: प्रदायगी अवधि की अन्तिम तिथि को राजपत्रित अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस को मध्यान्ह पूर्व तक प्रदायगी करने पर परिनिर्धारित क्षति की वसूली नही की जावेगी ।

26. **वसूलियॉः**-परिनिर्धारित क्षति, कम सप्लाई, टूट फूट व रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। कम सप्लाई, टूट फूट, रद्द किए गए मालों के मूल्य की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उक्तांकित वस्तुओं को नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) के साथ वसूली, उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध सुरक्षा राशि से की जाएगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या तत्समय प्रवृत कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
27. बोलीदाताओ को यदि आवश्यक हो तो, आयात लाईसेन्स प्राप्त करने के लिए स्वंय की व्यवस्था करनी होगी।
28. बोली शर्तो के अतिरिक्त कोई शर्तें स्वीकार नही की जाएँगी। यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो बोली शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोलीदाता द्वारा दी गई शर्तो को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाऐगा जब तक कि विभाग द्वारा जारी किये गए बोली स्वीकृति पत्र में विशेष रूप से उसको उल्लेखित नहीं कर दिया गया हो।
29. विभाग के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या बोली सूचना में अंकित किसी भी आईटम को एक से अधिक सप्लायर को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
30. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, किसी भी पक्षकार (सरकार या बोलीदाता) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी ।
31. बोली प्रस्तुत करने के बाद बोली के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
32. मूल बोली प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाही जा रही है वह स्वयं बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नही होगी।
33. बोली के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र बोली जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।
34. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने के बावजूद विभागीय उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होना पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण, RTPP Rules 2013 के प्रावधानानुसार प्राप्त करने का निर्णय लिया जा सकता है।

अति0महानिदेशक पुलिस(कारागार)
राजस्थान, जयपुर

मैने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढकर अच्छी तरह समझ लिया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/हैं ।

हस्ताक्षर बोलीदाता मय मोहर,
(बोली की समस्त शर्त स्वीकार करने के प्रमाण-स्वरूप)

परिशिष्ट ''द''

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर
बोलीदाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस वस्तु/स्टोर/कार्य के लिए बोली दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/ थोक विक्रेता/थोक वितरक/सोल सेलिंग एण्ड मार्केटिंग एजेण्ट/प्राधिकृत नियमित डीलर/डीलर हूँ/हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब, स एवं इ तथा बोली सूचना को पूर्ण रूप से पढकर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तो की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेंगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तथा बोली को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit any fact that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that partys performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or

d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to the Notice Inviting Bid No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence as is required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :
Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ________________

The designation and address of the Second Appellate Authority is ________________

(1)Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to the First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2)The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3)If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4)Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely :-

(a)Determination of need of procurement.
(b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
(c)The decision of whether or not to enter into negotiations.
(d) Cancellation of a procurement process.
(e)Applicability of the provisions of confidentiality.

(5)Form of Appeal

(a)An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as the number of are respondents in the appeal.
(b)Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c)Every appeal may be presented to the First or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6)Fee for filing appeal

(a)Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal it shall be rupees ten thousand, and this shall be non-refundable.
(b)The fee shall be paid in the form of bank demand draft or bankers cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of concerned Appellate Authority.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a)The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
(b)On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –
(i)hear all the parties to appeal present before him: and
(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of this order to the parties to appeal, free of cost.

(d)The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement
Act, 2012

Appeal No...........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose a copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal
   ....
   ....
   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer
   :..
   ....
   ....

Place ....

Date ....

Appellants Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rules all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of bidder

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

E.C.G. Machine - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

E.C.G. Machine के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 10
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of E.C.G. Machine निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Number of Channels	3
2.	Storage Capacity	Min. 200
3.	ECG machine should have full screen preview of ECG report for quality assessment checks prior to print	Yes
4.	Screen	5" LCD
5.	Keyboard	alphanumeric for patient data entry Hard keys
6.	Battery	Yes
7.	Battery capacity	100 ECG or 1 hour of continuous rhythm recording on single charge
8.	PC Connectivity	via. LAN/USB
9.	Availability of latest interpretation software	Yes
10.	System should have the dedicated software to download the ECG form machine in PDF format	Yes
11.	Availability of suitable cable arm having holder for ECG cables when not in use	Yes
12.	ECG Machine 12 leads with interpretation	1
13.	Patient Cable	2
14.	Chest Electrodes Adult (set of Six)	2
15.	Limb Electrodes	4
16.	Thermal paper for 500 patients	1 Set
17.	Power cable for charging	Yes
18.	Supplied with Clip electrode	Yes
19.	Moulded Plug power cord length, ISI Marked (Min)	2 meter
20.	Thermal Printer	Yes

21.	Print Mode	Auto/Manual
22.	Data transfer	Pen Drive/PC
23.	Parameters consists	HR, RR, PR, QRS, QT, QTC, R axis, P axis, T axis, ST axis, T duration, ST duration
24.	Input circuit	Defibrillant protection protection buil in
25.	Acquisition mode	Simultanious acquisition
26.	A/D converter	24 bit
27.	Samping rate	500 samples/sec/channel
28.	Facility of ECG PDF email through PC-ECG software	Yes
29.	Should provide PC-ECG Software	Yes
30.	PDF transfer of ECG,s from machine to USB	Yes
31.	Should have Indications and alarms like	Paper Empty, Battery Status, Lead Off, QRS beep, warning to fill ID before storage, Pendrive conectivity.
32.	Warranty	Minimum 02 Years on site warranty from date of installation

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

X-Ray Machine (Digital) - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

X-Ray Machine (Digital) के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : केन्द्रीय कारागृह, जयपुर।
(ख) संख्या : 01
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of X-Ray Machine (Digital) निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Machine Type	Fixed (Stationary)
2.	Tube Type	Stationary Anode
3.	AERB Approved	Yes
4.	Power	1 Phase 220 Volt AC
5.	Current	100/300mA
6.	Output(kW)	8kW
7.	X-Ray Machine should be supply with	Chest stand, Lead Apron, Lead divider each 1 Nos.
8.	Supply with UPS	Yes, 3KVA Online UPS
9.	Console software	Should be of same brand
10.	Specification to be provided with original data sheet/catalogue	Yes
11.	Bucky tray should have facility to accommodate cassette upto size	14"*17"
12.	Bucky selection switch	Yes
13.	SS Cassette tray & Compression band	Provided with machine.
14.	Dual action hand switch with retractable switch with flexible long cord	Yes
15.	Stationary anode X-ray tube with focus	1-3mm
16.	Anode heat storage capacity of tube	42KHU or more
17.	One No. collimator with auto shut off facility	Yes
18.	Peak kilo Voltage	40KVP to 100KVP
19.	Digital display	KVP, mA's, etc
20.	Timer	Solid-state electronic

21.	Quick Trip overload circuit breaker	Yes
22.	Exposure Time	0.2-5 sec
23.	mAs Range	1-300mAs
24.	Consists Computer Radiography system	Yes
25.	CR Image reader/Digitizer requires processing capacity of	45 plates/hour for 14"*17" size
26.	Min. image preview time	less than 50sec
27.	Depth acquisition resolution	12 bits
28.	Unit offered resolution	90 microns or less
29.	should be able to process cassettes of different sizes	Yes, around 7-8 sizes
30.	Pan and Zoom facility of image to check image quality	Yes
31.	Warranty	Minimum 02 Years on site warranty from date of installation

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैंनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

परिशिष्ट 'इ'

परिशिष्ट - इ

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

BP Instrument with Multo Para Monitor - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

BP Instrument with Multo Para Monitor के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 06
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of BP Instrument with Multo Para Monitor निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Type of Monitor	Preconfigured / Non Modular
2.	No. of Parameters for table top monitor	5 Parameters
3.	Number of leads of ECG	5
4.	12-lead interpretation for ECG	Yes
5.	Number of leads analyzed for ECG in single time	5
6.	Probe type supplied	Adult
7.	Type of adult probe	Reusable
8.	Cuff size for Adult	Medium
9.	NIBP modes	Manual, Automatic, Turbo
10.	Storage capacity of all parameters	Yes upto 100 Person
11.	Number of channels for temperature	2
12.	Probe type	skin
13.	Duration of alarm silence in sec	120
14.	USB port	Yes
15.	Connectivity provision with Central Nursing Station	Yes
16.	Type of display	TFT
17.	Display Size, inch with ±5% tolerance	10
18.	User Interface of display	Rotary knob
19.	Inbuilt thermal Recorder (Printer)	Yes
20.	Reusable SpO2 probe	Adult
21.	Number of adult probe	2
22.	Number of ECG cable	1
23.	Accessories to wall mount the monitor	Yes
24.	Type of battery backup	Lead Acid battery
25.	Backup time in minutes	90-100 Min.
26.	Recharging time of battery in hr	≤6

27.	Moulded Plug power cord length, ISI Marked (Min)	2 meter
28.	PC Connectivity	via. LAN/USB
29.	Therml printer for ECG and other reports	Yes
30.	Visual and audio alarms	Yes
31.	Warranty	Minimum 02 Years on site warranty from date of installation

आवश्यकता होने पर इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Cell Counter-Hematology Analyzer - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Cell Counter-Hematology Analyzer के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 03
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of Cell Counter-Hematology Analyzer निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Type of system offered	Closed system
2.	Analysis principle	LASER based scatter analysis
3.	Type of cell counting	5 part WBC differential with Retics and NBRC enumeration capability
4.	Samples	Minimum 60 samples / hour
5.	Number of Parameters	28
6.	Chamber Type	Multiple
7.	NRBC%	Yes
8.	Availability of body fluid (CSF, synovial, serous) parameters like WBC-BF, RBC-BF, MN#, MN%, PMN%, PMN#,TC-BF#	Yes
9.	IPF, PLT-0 , PLT-F, IG %, IG#, RET-HE, HFR, LFR, MFR, IRF Analysis	Yes
10.	Discrete analysis modes available- CBC, CBC+DIFF, CBC+RETIC, CBC+RETIC+DIFF, CBC+NRBC, CBC+Diff+NRBC	Yes
11.	Analysis method for WBC	Dual differential count
12.	Method for platelet measurement	dual angle light scatter/ fluorescent dye based
13.	RBC Measurement method	light scatter measuring technique
14.	Hb measurement	photometric/direct cellular measurement
15.	no of sample racks to cater to different tube sizes	1
16.	Maximum sample Aspiration volume needed in all modes	100 µl or less
17.	Minimum sample volume required in all modes	20µl or less
18.	Throughput capacity in CBC/Differential	> 100

19.	Throughput capacity in Retic mode	45 or more
20.	Type of modes of sample running	Open vial
21.	Hemoglobin linearity	0 to 25 gm per liter
22.	Rectic linearity	0 to 24.5
23.	Availability of Auto dilution	Yes
24.	should have clot detection facility	Yes
25.	Type of Calibration	Both manual and automatic
26.	Separate diluting nozzles for RBC and WBC	Yes
27.	Double bathing mechanism	Yes
28.	Upgradable to integrate with attachment "Fully automated slide maker & slide stainer"	Yes
29.	Type of data management	inbuilt system
30.	Display	LCD
31.	PC hard disk	>500 GB
32.	Inbuilt monitor size in inches	>5
33.	Processor of PC Provided with system	I 5 or more
34.	RAM	8 GB
35.	HDD	1 TB
36.	HIS/LIS Interface	RS232
37.	Type of external storage	USB
38.	Provide Pen drive with machine	32 GB 901 Nos)
39.	No of USB Port provided	4
40.	Printer facility	Yes
41.	Type of printer unit	Inbuilt
42.	Printer type	Thermal printer
43.	"Database capability of storing sets of results and graphics"	>= 50000
44.	L J Plot facility	Yes
45.	delta check for cumulative review	Yes
46.	On line QC option	Yes
47.	QC File management	Yes
48.	Type of user Interface or data entry	touch screen
49.	Rating of UPS in KVA	1-3 KVA
50.	Moulded Plug power cord length, ISI Marked (Min)	2 meter
51.	Back up time in minutes	30 min
52.	"Offered equipment unit to be supplied with sufficient consumables (with at least 2/3rd of total shelf life) required for, sufficient to carry out hematological testing of samples"	500
53.	Network integration with lab information system feature	Yes
54.	Warranty	Minimum 02 Years on site warranty from date of installation

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः—

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Fowler Patient Bed- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगेः-

Fowler Patient Bed के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार हैः-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 11
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of Fowler Patient Bed निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Number of bed platform sections	4 for fowler bed
2.	Availability of Leg section	Yes
3.	Leg section linkage	welded with MS CRCA tube (16 G)
4.	Manual adjustments	Backrest , knee rest through two screw systems with thrust bearings individually manouvred by two handles for fowler bed
5.	The bottom end of the H legs are provided with PVC shoes	Yes
6.	Material of handle	SS
7.	Provision of castors	H' Type Legs with 600 mm Height with 125 mm(5") dia High Grade Synthetic Body Castors, two with brake, two w/o brake
8.	Number of hooks in Telescopic IV Pole	4
9.	Number of sections in mattress	4 for fowler bed
10.	Provision of collapsible Railing	Yes
11.	Size of Buffer in mm	Approx 100
12.	Overall length of Back Rest	Approx 775-800
13.	Overall length of Knee Rest	Approx 400-450
14.	Overall width of Knee Rest	Approx 800-825
15.	Overall width of Leg Rest	Approx 775-800
16.	Overall length of Fix Section	Approx 100-150
17.	Overall width of fix section	Approx 775-800
18.	Colour of mattress cover	Blue/Black
19.	Material of collapsing railing	SS
20.	Types of collapsing railing	Collapsable
21.	Availability of test report from govt/ NABL/ILAC accredited lab covering	Yes

	all parameters	
22.	Copies of all certifications and reports to be provided to buyer on demand at time of supplies	Yes
23.	Warranty	Minimum 01 Years on site warranty from date of installation

आवश्यकता होने पर इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Hospital Semi folding bed with mattress - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Hospital Semi folding bed with mattress के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 25
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of Hospital Semi folding bed with mattress निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Number of bed platform sections-	2
2.	Manual adjustments	Backrest , knee rest through two screw systems with thrust bearings individually manouvred by two handles for fowler bed
3.	Material of handle	MS
4.	Number of hooks in Telescopic IV Pole	4
5.	Size of Buffer in mm	100
6.	Manual adjustments	Backrest through two screw systems with thrust bearings individually manouvred by handle for semi fowler bed
7.	The bottom end of the H legs are provided with PVC shoes	Yes (If provided without castor tyres)
8.	Material of handle	MS
9.	Provision of castors (If bed is provided with castor tyres)	H' Type Legs with 600 mm Height with 125 mm(5") dia High Grade Synthetic Body Castors (two with brake, two w/o brake)
10.	Color of mattress cover	Black/Blue
11.	Number of sections in mattress	2 for semi fowler bed as per bed
12.	Mattress Item Firmness Description	Plush
13.	Mattress Construction Type	Foam Construction
14.	Mattress	2 fold mattress ensure uniform compression

		support while lying longer period
15.	Mattress cover	water proof rexine
16.	Mattress weight	light weight ,easy to carry
17.	Mattress dimension	6.5 feet x 3 feet x 4 inch
18.	Warranty	Minimum 01 Years on site warranty from date of installation

आवश्यकता होने पर इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Pulse Oximeter- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Pulse Oximeter के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 48
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of Pulse Oximeter निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Technical Specification
1.	SPo2 Probes	Reusable
2.	Display of SPo2 And PR	Digital Display with Plethys Mograph
3.	Display	LCD
4.	Accuracy	±5%
5.	Trends	48HRs
6.	Type of Display	TFT
7.	Data Interval in Second	6 second
8.	Power Sourse	Battery Operated
9.	Operating Temperature	Ambient Temp. Of 0 to 40 Degree Celcius and Relative Humidity of 15 to 90%
10.	Noise Level In DB	15
11.	Probe Usage	Disposable
12.	Warranty	01 year
13.	ISO/ICMED Certification	QMS/09481/0219

नमूना एवं परीक्षणः—

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति. महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

परिशिष्ट 'इ'

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Thermometer/Thermal Scanner- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Thermometer/Thermal Scanner के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 56
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of Thermometer/Thermal Scanner निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Technical Specification
1.	Lowest Measurable Temperature	-30 Degree Celsius
2.	Highest Measurable Temperature	+900 Degree Celsius
3.	Display Resolution	0.1 Degree Celsius
4.	Basic Accuracy(±)	0.2 Degree Celsius
5.	Response Time	100 Millisecond
6.	Typical Distance To target	7 Meter
7.	Type Of Display	LCD
8.	Display Size (in Inch)	2.0 to 2.4
9.	Connectivity	USB
10.	Capacity of Battery (MAH)	2500
11.	Battery Back-Up	8 Hours
12.	Standard Accessories	Data Output Cable, Battery Charger, Bell Holder, Wrist Strap, RTD Sensor
13.	Laser Sighting	Dual Laser
14.	Warranty	01 year
15.	Calibration Certificate	OEM Certificate

नमूना एवं परीक्षण:-

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

BP Instrument- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

BP Instrument के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 41
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of BP Instrument निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Technical Specification
1.	Power Source	Charger (Adapter) and Battery
2.	Warranty Period	01 Years
3.	Measurement Method	Oscillometric
4.	Display	LCD
5.	Accuracy (Pressure Measurement)	±3
6.	Dimensions of the Display Screen(mm*mm)	42*40
7.	Automatic Power off if system is idle for 3 minutes	Yes
8.	Certification	ISO
9.	Cuff Range	Medium
10.	Cuff Quantity	Along with the machine 2 more
11.	Adapter with cable	Yes
12.	Measurement Range	PR range of 25 bpm 2504 bpm

नमूना एवं परीक्षण:–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभार:– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Oxizen Cylinder Set- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Oxizen Cylinder Set के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 10
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of Oxizen Cylinder Set निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Material of Cylinder body	Quenched and Tempered Steel
2.	High pressure seamless Cylinder	Yes
3.	Color coding of cylinders	Body - Black, Shoulder - White
4.	Cylinder Size	D
5.	Water Capacity of Cylinder (Liters)	48 liter
6.	Hydrostatic test pressure (Kg/Cm2)	250
7.	Maximum working pressure at NTP (Normal Temperature and Pressure) (Kg/Cm2)	150
8.	Filling Pressure of Cylinder at NTP (Normal Temperature and Pressure)(Kg/Cm2)	150+/-5%
9.	Outer diameter, approx, (mm)	232 millimeter
10.	Minimum Wall thickness (mm)	5.2 millimeter
11.	Cylinder Length (mm)	1370 millimeter
12.	Tare weight (Kg)	50 kilogram
13.	Neck ring provided	Yes
14.	Foot ring provided	Yes
15.	Type of Valve fitted with the cylinder	Type A (Wheel operated)
16.	Valve protection caps available	Yes
17.	ISI marked Valve conforming to IS 3224-2002 (Latest) fitted with the cylinder	Yes
18.	All fittings should be leak proof	Yes
19.	Cylinder carrying trolley with tyres	Yes
20.	Cylinder conforms to requirements prescribed in Gas Cylinder Rules, 2016 of the Govt of India, with such modifications and amendments as may be ordered/issued from time to time by the Chief Controller of Explosives, Dept of Petroleum, Govt of India	Yes
21.	All cylinders must have filling permission or must have HST (Hydro Stretch Test) certification from test shop approved by Chief	Yes

	Controller of Explosives, Department of Petroleum, Government of India	
22.	Testing of Cylinder as per standard protocol is the responsibility of Cylinders supplier, if owner of the Cylinder is Oxygen supplier	Yes
23.	Each cylinder should be engraved the details viz (a) Serial No of cylinder/Identification, (b) Code of mfg, (c) Working pressure, (d) Water capacity, liters, (e) Test pressure in Kg/cm2, (f) Year of manufacture and testing, (g)Tare weight of cylinder	Yes
24.	All the cylinders should be properly painted as per their respective color code, Cylinder No, name of the supplier, name of the gas cylinder and its contents should be clearly indicated on the neck of the cylinder	Yes
25.	Type approval certificate for the Cylinder to the relevant IS Standard from Competent authority to be made available to the buyer on demand	Yes
26.	Cylinder fitness certificate for each Cylinder is to be furnished to the buyer	Yes
27.	Validity of Cylinder safety certificate (years)	5
28.	Warranty	minimum 01 year

इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

	Controller of Explosives, Department of Petroleum, Government of India	
22.	Testing of Cylinder as per standard protocol is the responsibility of Cylinders supplier, if owner of the Cylinder is Oxygen supplier	Yes
23.	Each cylinder should be engraved the details viz (a) Serial No of cylinder/Identification, (b) Code of mfg, (c) Working pressure, (d) Water capacity, liters, (e) Test pressure in Kg/cm2, (f) Year of manufacture and testing, (g)Tare weight of cylinder	Yes
24.	All the cylinders should be properly painted as per their respective color code, Cylinder No, name of the supplier, name of the gas cylinder and its contents should be clearly indicated on the neck of the cylinder	Yes
25.	Type approval certificate for the Cylinder to the relevant IS Standard from Competent authority to be made available to the buyer on demand	Yes
26.	Cylinder fitness certificate for each Cylinder is to be furnished to the buyer	Yes
27.	Validity of Cylinder safety certificate (years)	5
28.	Warranty	minimum 01 year

<u>नमूना एवं परीक्षणः—</u>

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Centrifugal Machine (8 Tube) - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Centrifugal Machine (8 Tube) के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 04
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of Centrifugal Machine (8 Tube) निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Conformity to standards	CE
2.	ISO certification for Manufacturer	Yes
3.	Rotor configuration	Angle Rotor
4.	Maximum Volume of the tube testable	15 ml centrifuges tubes
5.	Rotor Size	8x15ml
6.	Centrifuge Design	Bench Top
7.	Weight including Default Rotor in kg	20
8.	Auto cut off	Yes
9.	Timer provided	Yes
10.	Maximum RPM	2800
11.	Number of steps for RPM variation	7
12.	Incremental Steps of Variable RPM	400
13.	Type of Motor	Brushless (without carbons)
14.	Maximum Noise level when working at 1 meter distance in db	70
15.	Ambient operating Temperature range in Degree centigrade Celsius and humidity range	0 to 50 degree centigrade and Relative humidity 15 to 90%
16.	Rotor imbalance diagnostics and automatic stop if required	Yes
17.	Facility to ensure that In case Machine is running and lid is opened with manual lock by user, machine shall stop	Yes
18.	Maximum Timer Set range	60 minutes
19.	Timer settings Provided	interval of 10 seconds up to 1 minute and over 1 minute up to 60 minutes in interval of 1 minute

20.	Display	LCD
21.	Speed Controller	Microprocessor controlled pre programmed speed controller
22.	Speed Control Accuracy in case of set speed (Plus minus RPM)	50
23.	Rotor Feature with reference to Autoclavability	Autoclavable Rotor @ 121 Degree Celsus,
24.	Maximum Volume of the tube testable	15 ml centrifuges tubes
25.	Rotor Size	8x15ml,
26.	Accessories	Spanner to tight or loose Nut of Rotor on Motor shaft head puller, spare rotor nuts , fuse-2, Instruction Manual Book , installation CD
27.	Assembly Material for manufacture of Medical Centrifuge	Consists of Die cast Aluminum, Aluminum sheet, Stainless Steel, CRC Steel, Plastic and Rubber
28.	Lid Material of Medical Centrifuge	C.R.C Steel Finish with Powder Coating or stove painting / ABS Plastic of injection moulding
29.	Body Material of Medical Centrifuge	C.R.C Steel Finish with Powder Coating or stove painting / ABS Plastic of injection moulding
30.	Centrifuge Bowl material of Medical Centrifuge	304 Quality Stainless Steel Moulded
31.	Available Parameters	WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%,MID%, GRA%, RBC, HGB MCHC, MCH, MCV, HCT, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR and Histograms for WBC, RBC, PLT
32.	Throughput	Up to 60 samples per hour
33.	Carry over	WBC/RBC/HGB <0.5%, PLT<1.0%
34.	Accuracy(CV)	WBC<20%, RBC<1.5%,

		HGB<1.5%, MCV<0.4%, PLT<4%
35.	Sample Volume	Whole Blood 9.8ul, Pre diluted Blood 20ul, Capillary Blood 9.8ul Clot Clear: High voltage burn and high pressure flush Test Channels : Dual chamber, Calibration: Automatic or manual mode selectable
36.	Memory	Save more than 50,000 samples details including histograms
37.	Moulded Plug power cord length, ISI Marked (Min)	2 meter
38.	Warranty	Minimum 01 Years

आवश्यकता होने पर इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

<u>नमूना एवं परीक्षणः–</u>

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Urine Analyser- क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Urine Analyser के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 01
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of **Urine Analyser** निम्न प्रकार होंगे:-

Sr. No.	Particulars	Parameter
1.	Chemical analysis that determines parameters	bilirubin,glucose,ketones,pH,protein,urobilinogen,nitrites,leukcyte esterase etc
2.	Type of configuration	Benchtop
3.	Type of loading	Continuous
4.	Working principle	Reflectance Photometry
5.	Chemical Testing Parameters Available in the OEM Strips	Glucose, protein, pH, Specific gravity, Urobilinogen, Bilirubin, Ketones, Nitrites, Blood & Leucocytes, Microalbumin & Creatinine with ACR ratio
6.	Thoughput (Number of Sample) per hour	Min. 100
7.	System Type	Closed
8.	Reagent type	Strip
9.	Dry strip detection	Yes
10.	Attached waste bin container	Yes
11.	Availability of Quality control program in system	Yes
12.	Calibration	Both Calibration strips and Automatic
13.	Type of user Interface	Both manual and barcode reader
14.	Type of barcode reader	External
15.	Type of patient data entry	Alpha-numerical
16.	Data memory (No of patients)	2000 Patients
17.	HIS/LIS Interface	RS232

18.	Result and work list transmission through LIS	Yes
19.	Printer facility	Yes
20.	Printer unit	inbuilt
21.	Number of Reagent Strips supplied with the analyzer	500
22.	Moulded Plug power cord length, ISI Marked (Min)	2 meter
23.	Inbuilt Display	LCD
24.	Warranty	Minimum 01 Years

आवश्यकता होने पर इन्स्टॉलेशन से संबंधित समस्त कार्य फर्म द्वारा ही संबंधित कारागृह पर किया जावेगा।

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Bed Side Screen (Curtain) - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Bed Side Screen (Curtain) के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 25
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of **Bed Side Screen (Curtain)** निम्न प्रकार होंगे:-

S. No.	Particulars	Parameter
1.	Partition provided	With curtain
2.	Provision of folding arrangement	3/4 Folds
3.	Construction of middle section	In 2 pcs separately (If provided in 4 folds)
4.	Number of hinges (to join panels)	3/4 Nos
5.	Frame Material	Seamless SS conforming to 304 grade / 16 gauge
6.	Base material	Seamless SS conforming to 304 grade / 16 gauge
7.	Castors wheel	Polymer wheel castors
8.	Hinges material	SS
9.	Hooks material	SS 202
10.	Overall height	1675 mm
11.	Overall width	1828 mm
12.	Side panels width (if specified)	550 mm
13.	Middle panels width (if specified)	550 mm
14.	Curtain type	Stain retardant cubical curtains
15.	Curtain material	Cotton fabric
16.	Material of folding ward screen	Stainless steel

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Stretcher Trolley - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Stretcher Trolley के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 25
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of **Stretcher Trolley** निम्न प्रकार होंगे:-

S. No.	Particulars	Parameter
1.	Overall Length of trolley in mm with 5% tolerance	2030
2.	Overall width of trolley in mm with 5% tolerance	710
3.	Material of Stretcher Trolley	SS
4.	Provision of mattress	Yes
5.	Thickness of mattress in inch	2
6.	Length of stretcher in mm with ±5% tolerance	1830
7.	Width of stretcher in mm with ±5% tolerance	555
8.	Provision of Saline rod	Yes
9.	Material of saline rod	Stainless steel
10.	Finish of saline rod	Natural
11.	Provision of storage tray	Yes
12.	Number of castor wheels	4
13.	Diameter of castor wheels in mm	200
14.	Number of Lockable castor wheels	2
15.	Material of Castor housing and wheels	High grade non floor-staining synthetic materials with integrated thread guards
16.	Wheel centre having precision ball bearing to run smoothly	Yes
17.	Provision of Oxygen cylinder arrangement	Yes
18.	Provision of railings	Yes
19.	Material of railing	Stainless steel
20.	Type of railing	Tuck down type railings

21.	Coating on all MS parts	Pre-treated & powder coated
22.	Polish on all SS parts	finished with Matt polish
23.	All corners shall be rounded off so that there shall be no sharp corners and holes should be burr free	Yes
24.	Load carrying capacity in kgs	150
25.	Provision of safety belts	Yes
26.	Material of handle	SS
27.	Urine Bag Holder	Yes
28.	Warranty	01 Year

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Folding Stretcher - क्रय हेतु शर्तें एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्तें एवं विवरण लागू होगे:-

Folding Stretcher के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 25
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of **Folding Stretcher** निम्न प्रकार होंगे:-

S. No.	Particulars	Parameter
1.	Unfolded Size of the stretcher (L x W x H) (in cm) with tolerance of ±2mm	205 x 53 x 13
2.	Number of folds which can be made	2
3.	Material of the Stretcher frame	Aluminium
4.	Material of the Support bed of the foldable stretcher	Tetron Canvas
5.	The foldable stretcher shall fold lengthwise and cross wise and shall fold flat for compact storage and easy transportation	Yes
6.	Support bed of the foldable stretcher shall be stain and water resistant and easy to clean and antifungal	Yes
7.	Foldable stretcher shall have aluminium feet to prevent stretcher bed from touching the floor	Yes
8.	Aluminium poles shall have rubber hand grips to keep a firm grasp on the stretcher	Yes
9.	Unfolded Size of the stretcher (L x W x H) (in cm) with tolerance of ±2mm	205 x 53 x 13
10.	Number of folds which can be made	2
11.	Minimum Load carrying capacity of the Foldable stretcher in kg	160
12.	Weight of the foldable stretcher in kg	20
13.	Foldable stretcher should have patient restrain strap with double locking Quick release safety Buckets	Yes
14.	Vertical hoisting sling to be provided	Yes
15.	Material of the Stretcher frame	Aluminium
16.	Material of the Support bed of the foldable	Tetron Canvas

	stretcher	
17.	Carry case to be provided	Yes

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Nebulizer Machine - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Nebulizer Machine के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 24
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of **Nebulizer Machine** निम्न प्रकार होंगे:-

S. No.	Particulars	Parameter
1.	Weight (kg)	Approx 1.9
2.	Air Flow in Liter Per Minute (LPM)	5
3.	Granule Size of uniform Particle (MMAD), (micron)	3
4.	Nebulizing Rate	0.5 ml/minute for 10 LMP
5.	Air tube and Air Filter and kit with mask (child and adult),	Yes (minimum 5 nos of air filters along with each equipment)
6.	Storage Temp	-10 degree C to +50 degree C
7.	Machine stops when Tank is empty	Yes
8.	Medication capacity	2ML -7ML
9.	Operating Temp/Humidity	-10 degree C to +50 degree C, 30% to 95% Relative Humidity Max.
10.	Machine takes a liquid medication and turns into a aerosol mist via pressurized air automatic mist	Yes
11.	Technology	Aerosol with piston electro compressor type
12.	Maximum Pressure (kPa)	100
13.	Dust Filter	Yes
14.	Check Valve	Yes
15.	Protection against electric shock (High Voltage) 3KV for one minute	Yes
16.	Power Source	120V-250V/50 HZ
17.	Maximum Power Consumption	180 Watt
18.	Rechargeable battery 12 Volt/150AH Lead Acid SMF Type	Yes
19.	Moulded Plug power cord length, ISI Marked (Min)	2 meter

20.	4 Hour Back Up of Battery	Yes
21.	Warranty	Minimum 01 Year

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः– सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Nursing/Dressing Trolley - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट "स" में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगे:-

Nursing/Dressing Trolley के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 10
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of **Nursing/Dressing Trolley** निम्न प्रकार होंगे:-

S. No.	Particulars	Parameter
1.	Type of frame	Tubular
2.	Assembly Required	Yes
3.	2 stainless steel shelves with railing on top	Yes
4.	Assembly Required	Yes
5.	Number of castors wheels	4
6.	Number of castor brakes	2
7.	Castors shall be rust proof	Yes
8.	Number of shelf	2
9.	Provision of protective /guiding railings	all sides of shelves
10.	Provision of bowl and bucket on shelf	Yes
11.	Type of coating	Epoxy powder coated
12.	Material of frame of Trolley	Stainless steel (SS 304)
13.	Overall length of trolley in mm	Approx 1080
14.	Overall width of trolley in mm	Approx 510
15.	Overall height of trolley in mm	Approx 900
16.	Thickness of wall of frame in gauge	16
17.	Diameter of tubes of frame in mm	25-35
18.	Diameter of castors in mm	100
19.	Material of shelf	Stainless steel (SS 304)
20.	Length of shelf in mm	750
21.	Width of shelf in mm	500
22.	Material of bucket and bowl	Stainless steel (SS 304)
23.	Diameter of bowl in mm	Approx 345
24.	Diameter of bucket in mm	Approx 360
25.	Overall weight of trolley in Kg	Approx 19
26.	Material of Nursing/Dressing trolly	Stainless steel (SS 304)

27.	Warranty	01 Year

नमूना एवं परीक्षणः–

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः- सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)

महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर

Electric Instrument Sterilizer Boiler - क्रय हेतु शर्ते एवं स्पेसिफिकेशन्स

सामान्य शर्तो से संबंधित परिशिष्ट ''स'' में क्रम संख्या 1 से 34 तक अंकित शर्तो के अलावा निम्न शर्ते एवं विवरण लागू होगेः-

Electric Instrument Sterilizer Boiler के संबंध में एफ.ओ.आर. मात्रा, स्पेसिफिकेशन का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) एफ.ओ.आर. : मुख्यालय कारागार, जयपुर
(ख) संख्या : 25
(ग) सप्लाई अवधि : 30 दिन
(घ) स्पेसिफिकेशनस् : Specifications of **Electric Instrument Sterilizer Boiler** निम्न प्रकार होंगे:-

S. No.	Particulars	Parameter
1.	Sterilizer Thermostate and Tray Lifting Size	20X8X6 Inch
2.	Are fitted with backalite/good quality plastic handle & four legs.	Yes
3.	Electrically fitted with 1Kw-2Kw single phase element of 220/50Hz as per size and three core wire.	Yes
4.	Available with thermostat and tray lifting arrangement from size 12" onwards	Yes
5.	Available with Auto-cut off element for all sizes	Yes
6.	SS Available in grade	304 grade SS
7.	Stainless Steel Electric Instrument Sterilizer Size	24x12x12 inch - Jointed.
8.	Material	Made up of High Quality Jointed Stainless Steel
9.	Handel Grip	Comes with Two Side Handle with Insulated Grip
10.	Accessories	Comes with Sterilization Boxes, Power Cord, Tray and Tray Lifting arrangement.
11.	Provided with Sterilizer (or steriliser) help to eliminates (removes) or kills (deactivates) all forms of life and other biological agents (such as prions, as well as viruses which some do not consider to be alive but are biological pathogens nonetheless), including	Yes

	transmissible agents (such as fungi, bacteria, viruses, prions, spore forms, unicellular eukaryotic organisms such as Plasmodium, etc.) present in a surgical instruments like Scissors, Forceps, Artery Forceps, Sponge Forceps etc	
12.	Sterilizer has Jointless / Seamless construction and is manufactured in Stainless Steel	304 Grade.
13.	These Electric Sterilizers have tray lifting arrangement with Bakelite Handle	Yes
14.	Moulded Plug power cord length, ISI Marked (Min)	2 meter
15.	Warranty	Minimum 01 Years]

नमूना एवं परीक्षणः—

1. परीक्षण/निरीक्षण प्रभारः— सामान प्राप्त होने पर सामान का परीक्षण/निरीक्षण विभागीय निरीक्षण समिति द्वारा करवाया जायेगा। यदि परीक्षण/निरीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तर पर या स्पेशिफिकेशन के अनुसार नही है तथा माल रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

अति.महानिदेशक पुलिस (कारागार)
राजस्थान जयपुर

मैनें/हमने उपरोक्त समस्त शर्तो को ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी तरह समझ लिया है तथा समस्त शर्तो के पालन हेतु सहमत हूँ/है इस आशय हेतु प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर निविदादाता मय मोहर
(बोली की समस्त शर्तो स्वीकार करने के प्रमाण के रूप में)